

## अध्याय XV

पुस्तकालय अथवा वाचनालय यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए रखा गया है तो उसके कार्य के समय सहित, जानकारी प्राप्त करने वाले नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

1. रेलटेल ने वेबसाइट [www.railtelindia.com](http://www.railtelindia.com) बना रखी है रुचि रखने वाले लोग वांछित जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यदि आवश्यक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, तो नागरिक रेलटेल को [info@railtelindia.com](mailto:info@railtelindia.com) पर ईमेल भेज सकते हैं या आवश्यक जानकारी मांगने वाला एक पत्र लिख सकते हैं। यदि आवश्यक जानकारी उपलब्ध है और प्रदान की जा सकती है, तो उसे उचित समय के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा।

2. भारत का कोई भी नागरिक जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे सीपीआईओ / पीआईओ / एपीआईओ को संबोधित करके अनुरोध कर सकता है। जनता की सुविधा के लिए, आरटीआई आवेदन का प्रारूप उप-शीर्षक 'आरटीआई' के तहत रेलटेल की वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया है। 'आरटीआई' के तहत जानकारी मांगने के लिए आवेदक को 10 / - रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। फीस के भुगतान का तरीका है: उचित रसीद के माध्यम से नकद या डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चेक / भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा। बीपीएल श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते उनके दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जहां जानकारी प्रदान करने के लिए किसी प्रकार की लागत का भुगतान करके र जानकारी प्रदान करने के लिए एक निर्णय लिया जाता है, तो आवेदक को अतिरिक्त शुल्क की मात्रा के बारे में सूचित किया जाएगा: -

- i) प्रत्येक पृष्ठ के लिए (ए -4 या ए -3 आकार के पेपर में) - 2/- रुपए प्रति पृष्ठ
- ii) बड़े आकार के कागज में एक प्रतिलिपि के लिए - वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य
- iii) नमूने या मॉडल के लिए - वास्तविक लागत या कीमत
- iv) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए - पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और उसके बाद प्रत्येक घंटे (या उसके अंश) के लिए 5/-रुपए
- v) डिस्कट या फ्लॉपी में प्रदान की गई जानकारी के लिए - 50/- रुपए प्रति डिस्कट या फ्लॉपी
- vi) मुद्रित रूप में प्रदान की गई जानकारी के लिए - इस तरह के लिए निर्धारित मूल्य पर प्रकाशन या 2/-रु.प्रकाशन से निष्कर्षों के लिए फोटोकॉपी के प्रति पृष्ठ।

उपर्युक्त अतिरिक्त शुल्क के भुगतान का तरीका आवेदन शुल्क के समान होगा।

अपील- यदि आवेदक को अधिनियम के धारा 7 के उप-धारा (3) के खंड (ए) के उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या वह सीपीआईओ / पीआईओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, जैसा भी मामला हो, इस तरह के फैसले की प्राप्ति से इस अवधि की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर, शिकायत के निवारण के लिए अपीलीय प्राधिकारी को वरीयता और अपील करनी चाहिए।

3. आम जनता के लिए पुस्तकालय सुविधा

वर्तमान में, रेलटेल में आम जनता के लिए कोई पुस्तकालय सुविधा नहीं है।